[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

[सं.13/2026-सीमाशुल्क(एन.टी.)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) और धारा 156 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये 1 मार्च, 2026 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 के नियम 4 के खंड (क) से खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) मार्च से भिन्न किसी मास के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक भुगतान के लिए वापस किए गए प्रवेश पत्र के तत्स्थानी माल के लिए शुल्क अनुगामी मास के पहले दिन तक संदत्त किया जाएगा;

(ख) मार्च के पहले दिन से 31वें दिन तक भुगतान के लिए वापस किए गए प्रवेश पत्र के लिए शुल्क 31 मार्च तक संदत्त किया जाएगा।”।

[स. 450/04/2026-सीमा-IV]

(अनुरिमा शर्मा)

निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 2 नवंबर, 2016 में, संख्यांक सा.का.नि. 1037 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2023 द्वारा अतिम बार संशोधित की गई थी ।